संख्या-548/2023/1566/22-2-2023-17(1167)/2019

प्रेषक,

मदन मोहन
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशु गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-14574/प्रो0अनु0(2)-2/2023(बैठक दिनांक-05.05.2023), दिनांक 05.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशु गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता, मौ0 सहाबराय, कस्बा व थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। वादी के घर बन्दी का आना जाना था। दिनांक-27.11.2003 को समय करीब 8:30 बजे बन्दी द्वारा अपने 05 सह अभियुक्तो के साथ मिलकर वादी के पुत्र अभिषेक का अपहरण कर लिया और फिरौती रूपया-10 लाख की मांग की गयी, फिरौती की मांग पूरी न होने पर बन्दी द्वारा अभिषेक की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01 मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-12.07.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी एक अन्य एस0टी0नं0-81/2004, 3(1)गैंगेस्टर एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05 मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक-08-07-2016 को 10 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.04.2023 तक 19 वर्ष 05 माह की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 28.04.2023 तक 40 वर्ष, 10 माह, 18 दिन है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अकंन किया है कि बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी के भविष्य में अपराध करने व अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निर्गत अभिमत दिनाक-26.04.2023 में अंकित किया गया कि बन्दी के रिहा करने पर समाज पर और गवाहान पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तो बन्दी के छोड़े जाने पर न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि वादी के घर बन्दी का आना-जाना था। दिनांक-27.11.2003 को समय करीब 8:30 बजे बन्दी द्वारा अपने 05 सह अभियुक्तो के साथ मिलकर वादी के पुत्र अभिषेक का अपहरण कर लिया और फिरौती रूपया-10 लाख की मांग की गयी, फिरौती की मांग पूरी न होने पर बन्दी द्वारा अभिषेक की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन किया है कि बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी के भविष्य में अपराध करने व अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आशु गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशु गुप्ता (बन्दी सं0-16863) पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-548/2023/1566(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रिमिनल) डायरी संख्या-18643/2021 जौहर उर्फ बोबी बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.09.2021 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।